

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)


Declaration of the result of Election under section 66 of the
Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State From the
053- ADARSH NAGAR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of
Elections Rule, 1961, I declare that –

Shri RAFAEK KHAN Address **D-135, KAILASH MARG, BANIPARK JAIPUR** sponsored
by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that
House from the above constituency.

Place : Rajasthan College, J.L.N. Marg, Jaipur
Date : 03-12-2023


(AYUB KHAN)
RETURNING OFFICER
053-ADARSH NAGAR
DY. INSPECTOR GENERAL REGISTRATION &
EX. OFFICIO COLLECTOR STAMPS
JAIPUR CIRCLE III

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

**053 -आदर्श नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए
निर्वाचन**

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि - श्री रफीक खान पता डी-135, कैलाश मार्ग बनीपार्क जयपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।
स्थान: राजस्थान कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

दिनांक: 03.12.2023

ML

(अय्यब खान)
रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर

उप महानिरीक्षक पंजीकृत एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक जयपुर वृत्त
उप महानिरीक्षक पंजीकृत एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक
जयपुर वृत्त तृतीय